भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6218

जिसका उत्तर मंगलवार, 05 मई, 2015 को दिया जाना है

औद्योगिक विकास

6218. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हैवी इंजीनियरिंग उपकरणों तथा मशीन टूल्स, ऑटोमेटिव हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग आदि जैसे देश के विभिन्न उद्योग की क्षेत्र-वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में लक्षित विकास को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): (₹ करोड़ में)

उद्योग क्षेत्र	2012-13	2013- 14	2014- 15 (अनुमानित)*	वृद्धि (%)
हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड मशीन टूल्स	57360	60231	64525	7.13
हेवी इलेक्ट्रिकल एंड पॉवर प्लांट इक्विपमेंट	134375	131825	129782	(-)1.55
ऑटोमोबाइल क्षेत्र	511710	489165	529522	8.25

*नोट: आंकड़े उद्योग संघों के अनुमानों के अनुसार हैं।

(ख): (₹ करोड़ में)

	2012-13		2013- 14		2014- 15	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	(अनुमानित)*
हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड मशीन टूल्स	नियत नहीं	57360	67055	60231	65610	64525
हेवी इलेक्ट्रिकल एंड पॉवर प्लांट इक्विपमेंट	नियत नहीं	134375	138240	131825	140000	129782
ऑटोमोबाइल क्षेत्र	नियत नहीं	511710	540543	489165	579000	529522

*नोट: आंकड़े उद्योग संघों के अनुमानों के अनुसार हैं।

(ग): सामान्य आर्थिक मंदी की वजह से लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे जिसके फलस्वरूप प्रयोक्ता सेक्टर द्वारा कम निवेश किया गया।

(घ): केपिटल गुड्स पर उत्पाद शुल्क की 12% से 10% तक की छूट को 31.12.2014 तक बढ़ा दिया गया है जिससे औद्योगिक वृद्धि में सहायता मिलेगी।

2015-16 के लिए चालू बजट के दौरान विशिष्ट मशीन टूल संघटकों पर सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 2.5% करने से मशीन टूल सेक्टर के उत्पादन वृद्धि में सहायता मिलेगी।

सरकार ने भारतीय केपिटल गुड्स में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम भी शुरू की है जिसमें अवसंरचनात्मक हस्तक्षेपों जैसे (i) प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (ii) साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र, (iii) एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक केन्द्र और (iv) परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण/अंतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम घटक के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप की भी परिकल्पना की गई है। यह स्कीम 05.11.2014 को अधिसूचित की गई है और कार्यान्वयनाधीन है। अधिसूचना विभागीय वेबसाइट dhi.nic.in पर भी उपलब्ध है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, सरकार ने दिसम्बर, 2014 तक वाहनों पर उत्पाद शुल्क निम्नानुसार घटा दिया है ताकि उद्योग मंदी से उबर सकें:

(i) छोटी कारों, दुपहिया और तिपहिया तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए 12% से 8%।
(ii) एसयूवी के लिए 30% से 24%।
(iii) 4000 एमएम से अधिक लंबाई किन्तु 1500 सीसी से कम क्षमता के इंजन वाली कारों के लिए 24% से 20%।
(iv) 4000 एमएम से अधिक लंबाई किन्तु 1500 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली कारों के लिए 27% से 24%।

****